राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 56 | अप्रैल - जून 2016 | सीमित प्रसार के लिए

राज्य एवं केन्द्रीय बजट में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के आवंटन में कमी

भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को अधिक राशि दिये जाने के नाम पर, गत वर्ष (2015–16) के बजट में कई महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बजट आवंटन में कमी की गयी थी। बजट समाचार के जुलाई–सितंबर, 2015 के अंक में इस मुद्दे पर एक लेख भी प्रस्तुत किया गया था। पिछले साल सरकार ने केन्द्रीय योजनाओं को तीन श्रेणियों में बांटते हुये कुछ योजनाओं को बंद कर दिया तथा कुछ योजनाओं को चालु रखते हुये केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी में बदलाव किया था। इसके अलावा संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व वाली योजनाओं को यथावत चालु रखा गया। इसी कड़ी में प्रस्तुत आलेख में वर्ष 2016–17 हेतु पेश किये गये बजट के आधार पर यह देखने की कोशिश की गयी है कि इस वर्ष के बजट में इन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बजट आवंटन में कितनी कमी हुई है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं पर नीति आयोग द्वारा गठित शिवराज सिंह चौहान समिति की सिफारिशों के संबंध में भी बजट समाचार के अक्टुबर–दिसंबर, 2015 के अंक में चर्चा की गयी थी। गौरतलब है कि इस समिति ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को कोर योजनाओं एवं वैकल्पिक योजनाओं में विभक्त कर राजस्थान एवं अन्य सामान्य राज्यों का योगदान क्रमशः 40 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत करने तथा "कोर के कोर" के रुप में चिंहित योजनाओं में वर्तमान अनुपात को यथावत रखने की सिफारिश की थी। केन्द्र एवं राज्य में प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटित बजट का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 1: केन्द्रीय बजट में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन (2014–15 से 2016–17) (राशि करोड़ में)

क्रं. सं.	योजना	2014-15 (BE)	2014-15 (RE)	2014-15 (AE)	2015-16 (BE)	2015-16 (RE)	2016-17 (BE)
1.	सर्व शिक्षा अभियान	28258	24380	24097	22000	22015	22015
2.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	5000	1560	3398	2157	3565	3700
3.	समेकित बाल संरक्षण योजना	400	450	–	402.2	402	397
4.	समेकित बाल विकास योजना	18391	–	16683.6	8449	15584.2	14862.9
5.	मिड–डे–मील	13215	6973	10523	7811	9236	9700
6.	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	–	769.72	768.2	1232	1011.39	1125.00
7.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	22731.0	18609.03	19751.4	18875.3	19122.01	19037
8.	इंदिरा आवास योजना	16000	–	11096.2	10025	10004	15000
9.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	4000	–	1255.5	2382.8	1462.6	3000
10.	मनरेगा	33989	–	32463.4	34699	35766.8	38500
11.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	–	8444	8443	4500	3900	5400

स्रोतः रेस्पोंस टु युनियन बजट, 2015 एवं कनेक्टिंग दी डॉट्स, 2016, सी.बी.जी.ए., नई दिल्ली

उपरोक्त सारणी के आंकड़ों से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण योजनओं के आवंटन में भारी कटौती की गई है। एस.एस.ए., आर.एस.एम.ए., आई.सी.डी.एस., एम.डी.एम., आई.ए.वाई. एन.आर.एल.एम., एन.एच.एम. एवं आर.के.वी.वाई. जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के आवंटन में भी वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के बजट में भारी कटौती की गई है।

इन योजनओं में कमी का मुआवजा केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों का केन्द्रीय करों में हिस्सा बढ़ाने को माना जा रहा है। लेकिन बजट आंकड़ों को देखने पर स्पष्ट होता है कि केन्द्र से राज्य सरकार को वास्तविक हस्तांतरण में कोई अंतर नहीं आया है। हालांकि वर्ष 2016–17 के बजट में कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बजट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु पेश किये बजट में प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु किये गये आवंटन को निम्न सारणी में देख सकते हैं।

तालिका 2: राजस्थान में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन (2014–15 से 2016–17) (राशि करोड़ में)

क्रं.सं.	योजना	2014-15 (BE)	2014-15 (RE)	2014-15 (AE)	2015-16 (BE)	2015-16 (RE)	2016-17 (BE)
1.	सर्व शिक्षा अभियान	4341.57	4191.55	4119.00	4987.34	4025.00	4530.71
2.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1155.54	551.57	419.73	1086.48	721.87	1538.0
3.	समेकित बाल संरक्षण योजना	38.35	50.5	47.38	60.00	49.22	59.29
4.	समेकित बाल विकास योजना	1952.15	1532.28	1416.52	1687.23	1583.39	1657.89
5.	मिड–डे–मील	765.0	600.0	566.89	659.45	683.46	709.27
6.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	2255.13	1808.58	1324.03	2255.13	1841.74	1831.12
7.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	–	280.41	189.51	245.10	367.61	281.16
8.	इंदिरा आवास योजना	859.55	755.43	567.04	814.83	766.68	830.90
9.	स्वच्छ भारत अभियान	–	–	–	50.00	335.84	335.21
10.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	200.00	150.0	–	129.60	159.6	118.10
11.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	–	–	55.25	61.86	30.93	37.00
12	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	0.0003	7.604	7.39	10.23	34.70	56.92
13	मनरेगा	4849.86	3313.57	3230.01	4349.78	3760.00	3799.99
14	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	550.0	767.31	717.33	600.0	602.0	650.0

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान

जैसा कि हम उपरोक्त सारणी में देख सकते हैं कि राजस्थान में वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान में कई महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, आई.सी.पी.एस. और एम.एस.डी.पी. के आवंटन में वृद्धि को बनाये रखा। हालांकि इन योजनाओं में 2015–16 के संशोधित अनुमान एवं 2016–17 के बजट अनुमान में कमी की गयी है। लेकिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे एम.डी.एम., आई.ए.वाई., आर.एम.एस.ए., एन.आर.एल.एम. तथा पेयजल योजनाओं में वर्ष 2015–16 संशोधित अनुमान एवं 2016–17 के बजट अनुमान में वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान की तुलना में कमी की गई है जबकि इसके संशोधित अनुमान की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राज्य एवं केन्द्र स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों खासकर सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के आवंटन में यह कमी सरकार के आय–व्यय के तरीकों में परिवर्तन, केन्द्र सरकार के कुल हस्तांतरण में परिवर्तन और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को अपनाने के परिणामस्वरुप हुई है। अतः इन महत्त्वपुर्ण केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती के प्रभाव राज्य के लिये बहुत सकारात्मक नहीं रहेंगें। इसके अलावा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर शिवराज सिंह चौहान समिति की सिफारिशों के प्रभावों की बात जाये तो "कोर के कोर" में शामिल मनरेगा के बजट को देखें तो इसमें इस साल (2016–17) के बजट अनुमान में वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के बजट अनुमान के मुकाबले कमी की गयी है।

राजस्थान में अकाल एवं सुखे की स्थिति पर सर्वे

राजस्थान का अकाल से चोली–दामन का साथ है, तकरीबन हर वर्ष राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में अकाल एवं सुखे की स्थिति रहती है। परिणामस्वरुप राज्य की जनसंख्या एवं पशुधन बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। वर्ष 1999–2000 में राज्य के 32 जिलों में से 26 जिलों के करीब 23406 गांवों के लगभग 2.6 करोड़ लोग तथा 3.5 करोड़ पशु अकाल से प्रभावित हुये थे। वर्ष 2002–03 में भी अकाल से 32 जिलों के 40990 गांव प्रभावित हुये थे। इसी प्रकार वर्ष 2009–10 में 27 जिलों के 33464 गांव एवं वर्ष 2013–14 में 17 जिलों के 10225 गांव अकाल व सुखे प्रभावित रहे। इसके अलावा राज्य का करीब 60 फीसदी हिस्सा मरुस्थल है एवं राज्य के 11 जिले इसमें आते हैं तथा इन जिलों में अकाल एवं सुखे की स्थितियां काफी विकट होती है। अकाल एवं सुखे के कारण कृषि पर विपरित प्रभाव के साथ पेयजल, पशुओं हेतु चारे की कमी एवं लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित होती है। अकाल एवं सुखे से निपटने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं अकाल राहत कार्यों के माध्यम से विभिन्न प्रयास किये जाते हैं लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये प्रयास कितने कारगर होते हैं। इस वर्ष भी राज्य के राजस्व विभाग ने राज्य के 44672 गांवों में से करीब 17000 गांवों को "सुखा प्रभावित क्षेत्र" घोषित किया था। राज्य में अकाल एवं सुखे के हालात पर एक्शन एड, जयपुर ने राज्य की कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं एवं संगठनों के साथ मिलकर मई माह में राज्य के 7 जिलों–बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, चित्तोड़गढ, उदयपुर, जयपुर एवं नागौर की 19 तहसिलों के 83 गांवों में एक सर्वे करवाया गया था। इस सर्वे के आधार पर राज्य में अकाल एवं सुखे की स्थिति एवं इसके प्रभावों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है।

पानी के स्रोत एवं पेयजल की स्थितिः सर्वे वाले गांवों में चालु कुंए मात्र करीब 26 प्रतिशत ही पाये गये जिनका सर्वाधिक प्रतिशत उदयपुर जिले में जबकि सबसे कम नागौर में पाया गया। चालु कुंओं में पीने योग्य पानी के संबंध में पाया गया कि करीब 44 प्रतिशत गांवों में पीने लायक पानी नहीं है और जिनमें है उनमें भी अधिकांश कुओं का पानी खारा है। साथ ही बताया कि अधिकांश कुंओं का जल स्तर बहुत नीचे है। इन गांवों में हैंण्डपंप की बात की जाये तो इनकी कुल संख्या के मुकाबले मात्र करीब 44 प्रतिशत ही चालु पाये गये। चालु हैंण्डपंप के बारे में अधिकांश जगह पाया गया कि इनमें खराब पानी आता है एवं इनका जल स्तर बहुत नीचे है। इसी प्रकार इन गांवों में बावड़ियों की बात करें तो मात्र करीब 39 प्रतिशत बावड़ियां ही चालु हालात में पाई गयी। चुने गये गांवों में तालाबों की कुल संख्या करीब 41 है एवं उनमें चालु या सही हालात के तालाब मात्र 4 पाये गये जिनमें भी पीने योग्य पानी नहीं था। इसके अलावा अधिकांश गांवों में पानी दूर से लाना पड़ता है सर्वे में पाया गया कि इन गांवों में औसतन करीब 5 किमी. दूर से पानी लाना पड़ता है जिसमें पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर तथा नागौर में 8 से 15 कीमी दूर से पानी लाना पडता है।

चारे का अभाव एवं पशुओं की मौतः सर्वे हेतु चुने गये गांवों में से मात्र करीब 4 गांव के लोगों ने बताया कि पशुओं हेतु चारा पर्याप्त है जबकि 73 गांवों में चारे के अभाव की समस्या है जो जबाव देने वाले कुल गांवों का करीब 95 प्रतिशत है। यह समस्या आदिवासी, दलित व गरीब परिवारों में अधिक पाई गयी। करीब 72 प्रतिशत गांवों में पाया गया कि चारे के अभाव में पशुओं की मौत हुई, जिनमें अधिकांश गाय, भैंस व बकरी जाति के पशु थे। यदि जिलेवार बात की जाये तो अधिकांश पशुओं की मौत बाड़मेर जिले में हुई।

इसके अलावा चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि अकाल एवं सुखे से पानी की समस्या के कारण हिंसा की स्थितियां पैदा हो जाती है। सर्वे में शामिल करीब 9 गांवों में पाया गया कि इनमें पीने के पानी के संबंध में दलित, आदिवासी व मुस्लिम परिवारों के साथ हिंसा एवं गाली–गलौच जैसी घटनाएं हुई।

अकाल के प्रभावः अतः सर्वे के परिणामों से स्पष्ट होता है कि राज्य में अकाल से गांवों में चारे, पानी की किल्लत बढ़ने से लोगों का जीवन एवं आजीविका के साथ पशुधन बुरी तरह प्रभावित होता है। इन गांवों में यह पाया गया कि अकाल एवं सुखे से आदिवासी, दलित, कालबेलिया व कमजोर परिवार अधिक प्रभावित होते हैं। इसके अलावा पशुओं के लिये चारे पानी की कमी से ये बीमार होने के साथ बड़ी संख्या में इनके मरने की घटनाएं सामने आई। अतः अकाल से गांवों में लोगों, विशेषरुप से गरीब व कमजोर परिवारों में रोजगार एवं आजीविका की समस्या बढ़ जाती है। परिणामस्वरुप लोगों को आजीविका के लिये पलायन करना पड़ता है।

सरकार/पंचायत की पहलः इसके अलावा महत्त्वपूर्ण बात यह पाई गयी कि अकाल एवं सुखे के कारण चारे, पानी की समस्याओं के बारे में पंचायत एवं सरकार को अवगत करवाने के बावजूद भी इससे निपटने के हेतु पंचायत या सरकार की पहल अधिकांश जगहों पर ना के बराबर पाई गयी। सरकार की पहल के संबध में करीब 85 प्रतिशत गांवों के लोगों ने इस संबंध में कोई प्रयास नहीं होना बताया।

अगर राज्य में सुखा हेतु बजट को देखा जाये तो सरकार ने वर्ष 2014–15 ने 775.6 करोड़ रु. व्यय किये एवं वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान में 905.89 करोड़ रु. का बजट रखा था। लेकिन संशोधित बजट में इसको कम करके करीब 409.99 करोड रु. कर दिया गया। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान

शेष पृष्ठ 4 पर...

राजस्थान में शिक्षा एवं बजट

भारत विश्व के निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में आता है। 2014 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत विश्व के 180 देशों में 130वें पायदान पर है जो बेहद ही शर्मनाक स्थिति है। देशों में शिक्षा की स्थिति मानव विकास सूचकांक का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। भारत में फिलहाल 29 राज्य और 7 संघ राज्य है। अगर इन राज्यों का मानव विकास सूचकांक देखें तो हम पाएंगे कि राजस्थान निम्न सूचकांक वाले राज्यों में है। राजस्थान में शिक्षा की स्थिति भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत खराब है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में साक्षरता दर 67.06 प्रतिशत है, जो देश की औसत साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से कम है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच राजस्थान भारत के राज्यों और संघीय प्रदेशों की सूची में 4 पायदान लुढ़ककर 29वें स्थान से 33वें स्थान पर पहुँच गया है। पुरूष एवं महिला साक्षरता दर के मामले में भी राजस्थान बाकि राज्यों और संघ राज्यों से बहुत पीछे है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में पुरूष साक्षरता दर 80.51 है जबकि महिला साक्षरता दर केवल 52.66 प्रतिशत है। भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान सबसे निचले पायदान पर है।

असर 2014 के रिर्पोट के अनुसार राजस्थान में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों में से 43.5 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा डाइस (DISE) द्वारा हर साल प्रस्तुत किये जाने वाले राज्य रिर्पोट कार्ड के अनुसार राज्य में प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट लगभग 40 प्रतिशत के आस पास है। इसी रिर्पोट के अनुसार राज्य में लड़कियों का नामांकन केवल 46 प्रतिशत है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामिण सारक्षरता दर (62.34) में देश के अन्तिम पाँच राज्यों में से एक है। शिक्षा के अधिकार कानून हेतु तय मापदंडों के अनुसार भी राज्य की स्थिति बेहद खराब है। राज्य के विद्यालयों में मानव संसाधन की स्थिति बेहद खराब है, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में शिक्षको के हजारों पद रिक्त हैं।

तालिका–1: प्रदर्शन सूचकांक (आधार वर्ष 2014–15)

विद्यालय प्रकार/शिक्षक स्तर	स्वीकृत पद	रिक्त पद (प्रतिशत में)
आदर्श विद्यालय		
व्याख्याता	9684	3840 (39.65)
वरिष्ठ अध्यापक	5536	1578 (28.5)
तृतीय श्रेणी अध्यापक	8369	940 (11.23)
सभी विद्यालय		
व्याख्याता	47327	18191 (38.44)
विषय अध्यापक	–	16415
तृतीय श्रेणी अध्यापक	–	37580

स्त्रोत : सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर

सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य में तृतिय श्रेणी शिक्षकों के करीब 37580 पद, विषय अध्यापकों के 16415 पद एवं व्याख्याताओं के करीब 18191 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार राज्य के आदर्श विद्यालयों में भी भारी संख्या में पद खाली हैं, इन विद्यालयों में व्याख्याता के करीब 40 प्रतिशत, वरिष्ठ अध्यापकों के 28.5 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के करीब 11 प्रतिशत पद रिक्त है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि डाईस के अनुसार राज्य के विद्यालयों में विधार्थी–शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.) काफी अच्छा है।

राजस्थान में शिक्षा बजटः राज्य में शिक्षा बजट की स्थिति का विवरण इस खंड में दर्शाया गया है।

तालिका–2: राजस्थान में सरकार का शिक्षा हेतु बजट एवं व्यय

(राशि करोड़ में)

मद	2010–11 वास्तविक	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 वास्तविक	2014–15 वास्तविक	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
गैर आयोजना व्यय	8538.11 (83.41)	9195.77 (78.84)	10512.44 (80.42)	12072.33 (78.54)	13110.82 (77.51)	14728.70 (61.8)	13921.97 (62.2)	13929.8 (54.7)
आयोजना व्यय	1581.34 (15.45)	2303.92 (19.75)	2373.77 (18.16)	3065.94 (19.95)	6308.51 (32.49)	9095.87 (38.2)	8469.28 (37.8)	11531.98 (45.3)
केन्द्र प्रवर्तित योजना	116.75 (1.14)	164.29 (1.41)	186.48 (1.43)	232.75 (1.51)	*	*	*	*
कुल व्यय	10236.21	11664.00	13072.70	15371.02	19419.3	23824.57	22391.26	25461.78

स्त्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

नोट : शिक्षा पर कुल व्यय में सामान्य शिक्षा, तकनिकी शिक्षा, खेलकूद एवं युवा सेवाएं, कला एवं संस्कृति का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का योग है। *वर्ष 2014–15 से केन्द्र प्रवर्तित योजना की राशि आयोजना व्यय में शामिल की जा रही है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2016–17 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा पर आवंटन में गत वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। इस वर्ष करीब 25461.78 करोड़ रू आवंटित किये हैं जो गत वर्ष के संशोधित बजट से करीब 12 प्रतिशत अधिक है। गत वर्ष 2015–16 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा हेतु करीब 23824.57 करोड़ रू आवंटित किये गये थे जिसको संशोधित बजट में कम करके करीब 22391.26 करोड़ रू कर दिया गया है। विगत वर्षों के दौरान राज्य में अधिकांश राशि गैर आयोजना मद के अंतर्गत आवंटित एवं व्यय की गयी है जबकि आयोजना मद के अंतर्गत बहुत ही कम राशि व्यय की गयी। हालांकि वर्ष 2010–11 के बाद के वर्षों के बजट में आयोजना मदों के अन्तर्गत व्यय में बढ़ोतरी होती नजर आती है। सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय मात्र करीब 2 प्रतिशत है, जबकि तकरीबन 98 प्रतिशत राजस्व व्यय रहता है।

सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्ययः

तालिका–3: सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्यय (2202)

(राशि करोड़ में)

मद	2010–11 वास्तविक	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 वास्तविक	2014–15 संशोधित	2014–15 वास्तविक	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
प्राथमिक शिक्षा	5921.01 (59.06)	6812.51 (59.80)	7557.26 (59.36)	8463.62 (56.4)	11749.59 (58.33)	11518.76 (60.80)	13614.55 (58.39)	10854.36 (49.74)	11787.72 (47.51)
माध्यमिक शिक्षा	3361.78 (33.53)	3748.73 (32.90)	4106.66 (32.26)	5265.20 (35.1)	7050.79 (35.01)	6269.00 (32.86)	8246.16 (35.36)	9489.67 (43.49)	11442.90 (46.12)
उच्च शिक्षा	603.15 (6.02)	647.99 (5.68)	898.93 (7.06)	1065.95 (7.1)	1020.37 (5.07)	996.88 (5.23)	1076.50 (4.62)	1175.48 (5.39)	1226.54 (4.94)
प्रोढ़ शिक्षा	8.09 (0.08)	39.19 (0.34)	8.72 (0.07)	29.15 (0.2)	59.4343 (0.30)	57.50 (0.30)	87.46 (0.38)	40.17 (0.18)	68.10 (0.27)
भाषा विकास	95.18 (0.95)	103.01 (0.90)	116.62 (0.92)	141.37 (0.9)	194.12 (0.96)	175.60 (0.92)	212.82 (0.91)	191.04 (0.88)	205.31 (0.83)
सामान्य	35.73 (0.36)	40.63 (0.35)	40.03 (0.34)	53.75 (0.4)	67.58 (0.34)	58.82 (0.31)	79.90 (0.34)	69.86 (0.32)	82.31 (0.33)
कुल	10024.97 (100)	11392.09 (100)	12731.24 (100)	15019.08 (100)	20141.91 (100)	19076.56 (100)	23317.4 (100)	21820.61 (100)	24812.91 (100.)

स्त्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

नोट : ( ) में विभिन्न मदों का कुल व्यय से प्रतिशत है।

शिक्षा बजट में वर्ष 2015–16 तक राजस्व व्यय की करीब आधे से अधिक (54 से 60 प्रतिशत) राशि प्राथमिक शिक्षा पर आवंटित एवं व्यय की जाती थी, जबकि माध्यमिक शिक्षा पर करीब 33 से 39 प्रतिशत राशि व्यय की जाती रही है। जबकि वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट एवं 2016–17 के बजट अनुमान में प्राथमिक शिक्षा में कटौती कर माध्यमिक शिक्षा में बढोतरी की गयी है। कुल शिक्षा बजट का केवल 4.91 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा पर व्यय हो रहा है। इसके अलावा पिछले वर्षो की तुलना में इस वर्ष प्रोढ़ शिक्षा एवं भाषा विकास में भी थोड़ी कमी देखने को मिली है।

सामान्य शिक्षा पर पूंजीगत व्यय :

तालिका–4: शिक्षा, खेल कुद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय (4204)

(राशि करोड़ में)

वर्ष	2009–10 वास्तविक	2010–11 वास्तविक	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 संशोधित	2014–15 संशोधित	2014–15 वास्तविक	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
राशि	66.55	54.53	78.29	120.23	63.36	76.19	56.40	116.90	170.04	239.13

स्त्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय एक प्रतिशत से भी कम है, जबकि करीब 99 प्रतिशत से ज्यादा राजस्व व्यय है। अतः शिक्षा पर कुल व्यय में अधिकांश व्यय राजस्व मदों के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा हेतु पूंजीगत बजट में वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं की गयी है।

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट :

केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना सहायता अनुपात भी धीरे–धीरे कम कर दिया है। जब वर्ष 2001–02 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया तो, उस समय केन्द्र एवं राज्य का अनुपात क्रमशः 85:15 था, जिसको बाद के वर्षो में कम करके 75:25 कर दिया गया। वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान बजट में केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा और कम करके क्रमशः 62 व 65.5 प्रतिशत के करीब कर दिया। इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा और कम करके मात्र करीब 26 प्रतिशत ही रखा है।

तालिका–5: राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट (राशि करोड़ में)

मद/वर्ष	2010–11	2011–12 संशोधित अनुमान	2012–13 संशोधित अनुमान	2013–14 बजट अनुमान	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 संशोधित अनुमान	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
केन्द्रीय अनुदान	2014.96 (65)	2181.05 (61.95)	2368.45 (65.54)	2388.28 (65.18)	2874.01 (66.20)	2858.91 (68.21)	–	1296.71 (26.00)	2615.00 (64.97)	2718.43 (60)
राज्यांश	1084.98 (35)	1339.66 (38.05)	1245.24 (34.46)	1275.73 (34.82)	1467.55 (33.80)	1332.64 (31.79)	–	3690.63 (74.00)	1410 (35.03)	1812.28 (40)
कुल योग	3099.94 (100)	3520.71 (100)	3613.69 (100)	3664.01 (100)	4341.56 (100)	4191.55 (100)	4119. 648	4987.34 (100)	4025 (100)	4530.71 (100)

स्त्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

वर्ष 2014–15 से केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियन हेतु आवंटित होने वाले बजट को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान की राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षा परिषद को प्रदान की जाती थी। यह राशि अब राज्य सरकार को प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान की अधिकांश राशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय होती है, वित्तीय वर्ष 2016–17 में एस.एस.ए. के कुल आंवटित बजट का लगभग 90 प्रतिशत वेतन भत्ते के लिए आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में एस.एस.ए. के केंद्रीय अनुदान के कुल आंवटित बजट में 2015–16 के बजट अनुमान में केंद्रीय अनुदान राशि की तुलना में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जबकि राज्यांश राशि में लगभग 50 प्रतिशत की कमी की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में एस.एस.ए के कुल बजट में 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 457 करोड़ रूपये की कमी की गयी है, जो निराशाजनक है।

माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट :

तालिका–6: राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट (राशि करोड़ में)

मद	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 संशोधित अनुमान	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
कुल	1155.54	551.57	413.50	1086.48	721.87	1538.00
केन्द्रीयांश	685.07	301.18		814.86	410.32	900.00

स्त्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान के बजट में गत वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 452 करोड़ रू. की बढ़ोतरी की गयी है। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार सरकार माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए आवंटित राशि खर्च नहीं कर पा रही है, अगर हम 2014–15 एवं 2015–16 के संशोधित अनुमान की राशि देखें तो हमें ज्ञात होगा कि ये इन वर्षो के बजट अनुमान से काफ़ी कम है।

प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय हेतु बजट का आंकलनः

तालिका–7: प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय हेतु एक वर्ष का बजट (राशि करोड़ में)

मद/वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17
कुल बजट (राशि करोड़ रु. में)	11519	10854.3	11787.7
कुल नामांकित बच्चे (लाख में)	60.75	63.89	–
प्रति बालक बजट राशि (राशि रु. में)	18961.25	16989	18450*
कुल विद्यालय (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक)	79098	80086	–
प्रति विद्यालय (राशि लाख रु. में)	14.56	13.55	14.72*

स्त्रोत : 1. बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष
2. आर्थिक समिक्षा, राजस्थान सरकार, 2015–16

नोटः *वर्ष 2016–17 के लिये प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय बजट की गणना 2015–16 को आधार मानकर की गयी है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य में वर्ष 2014–15 में प्रति बालक करीब 18961.25 रु खर्च किये गये। जबकि संशोधित बजट के अनुसार वर्ष 2015–16 में प्रति बालक करीब 16989 रु. एवं वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान के अनुसार इस साल प्रति बालक करीब 18450 रु आवंटित किये गये हैं। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में प्रति विद्यालय करीब 14.56 लाख रु खर्च किये गये। जबकि वर्ष 2015–16 में प्रति विद्यालय करीब 13.55 लाख रु एवं वर्ष 2016–17 में प्रति विद्यालय करीब 14.72 लाख रु आवंटित किये गये हैं।

शेष पृष्ठ 4 पर...

राजस्थान के चार जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति : एक रिपोर्ट

बजट समाचार के जनवरी–मार्च, 2016 के अंक में राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य एवं पोषण बजट पर एक लेख प्रस्तुत किया गया था। इसी कड़ी में प्रस्तुत आलेख में बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र (बार्क) द्वारा प्रयास चित्तौडगढ़ एवं जन स्वास्थ्य अभियान के साथ मिल कर राजस्थान के चार जिलों (भरतपुर, झुंझुनू, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़) में स्वास्थ्य बजट तथा स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर किये गये अध्ययन के परिणामों को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जिलेवार अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप–स्वास्थ्य केन्द्रों का विभिन्न पहलुओं जैसे बजट, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता, विभिन्न संसाधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता इत्यादि का विश्लेषण करना था। हर जिले में एक जिला अस्पताल, दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आठ उप–स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन किया गया। इस प्रकार चारों जिलों में कुल मिलाकर 4 जिला अस्पतालों, 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 32 उप–स्वास्थ्य केन्द्रों को चुना गया। इसके अलावा 487 रोगियों से भी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उनके विचार एवं उनके स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चों से सम्बंधित सवाल पूछे गए।

इस अध्ययन में यह पाया गया कि राजस्थान में लोक स्वास्थ्य की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। अध्ययन से कुछ बातें जो सामने आई उनमें से अपर्याप्त संसाधन एवं उपकरण, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की अनुपलब्धता, कम बजट के साथ साथ आवंटित बजट का पर्याप्त उपयोग न होना प्रमुख है। अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इस लेख के द्वारा दर्शाए जा रहे है।

तालिका 1: स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम

स्वा. केंद्र	भरतपुर	झुन्झुनूं	बाड़मेर	चित्तौड़गढ़
अस्पताल	जिला अस्पताल	जिला अस्पताल	जिला अस्पताल	जिला अस्पताल
सा.स्वा. केंद्र	रराह, खुमेर	बागड़, मलसीसर	रामसर, कल्याणपुर	भदेसर, गंगरार
प्रा.स्वा. केंद्र	बंसीकला, अवार, चिकसाना, डेहरा	इस्लामपुर, कालीपहाड़ी, लादुसर, लूना	रामदेव मंदिर, अराबा चौहान, गगरिया, मंडली	पुतोली, कन्नौज, बानसेन, बिरहा
उप–स्वा. केंद्र	मूनढ़ोता, मतुआ, उन्दरा, घुसिअरी, उवार, सोगट, गोलपुरा, बेलाराकला	भारोंदा खुर्द, चिंचरोली, जयपहाड़ी, प्रतापपुरा, कोलिंदा, लुट्टू, डोली हंसासरी, खरखडी	चडवा तखतावाद, सियाई, चादर मेडरूप, सांख्लों की ढाणी, गोडावास, डोली राजगुरो, डोली कलां, गीडलिया तला	रेवलिया खुर्द, सुखवाडिया, नाहरगढ़, लेसवा, काँटी, बोलों का सांवता, लालस, सुवानिया

स्वास्थ्य केन्द्रों के बजट का विश्लेषण:

नीचे दी गई तालिका में चारों जिलों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पिछले चार वर्षों (2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16) के बजट को दर्शाया गया है।

तालिका 2: राजस्थान में जिलेवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट

(रू लाख में)

जिला	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16 (जनवरी 2016 तक)	
	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च
चित्तौड़गढ़	1934.00	1724.74 (89.2)	2261.62	2087.75 (92.3)	2263.26	2604.98 (115.1)	2556.30	1279.48 (50)
बाड़मेर	2349.68	2174.47 (92.5)	2773.58	2838.77 (102.3)	4991.10	3856.26 (77.3)	3229.99	2338.85 (72.4)
भरतपुर	2190.33	–	2421.60	–	3311.96	–	1751.92	–
झुन्झुनूं	1989.28	–	1725.03	–	2346.51	–	1409.41	–

स्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार
नोटः ( ) में आवंटन से खर्च का प्रतिशत

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटित राशि हर जिले के लिए अलग अलग है। यह अंतर हर जिले की निजी जरूरतों के आधार पर आधारित होती है, जो वो अपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (PIP) में स्पष्ट करते हैं। उपरोक्त तालिका के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटित राशि में पिछले चार वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट होता है कि 2015–16 में बाड़मेर, भरतपुर तथा झुंझुनू के लिए आवंटित राशि में कमी की गयी है।

अगर हम खर्च पर नज़र डाले तो हमें पता चलेगा की हर जिले ने आवंटित बजट अलग अलग प्रतिशत में उपयोग किया है। हालाँकि भरतपुर और झुंझुनू जिलों के लिए हमें खर्चे की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए हम इन दोनों जिलों के लिए आवंटित राशि में सालाना बदलाव को नहीं देख सकते हैं। चित्तोड़गढ़ ने 2014–15 में आवंटित राशि का 115 प्रतिशत खर्च किया जो कि कुल आवंटित राशि से अधिक है। इसके अलावा बाड़मेर ने कुल आवंटित राशि का सिर्फ 77.3 प्रतिशत ही खर्च किया है।

जिलेवार स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति:

नीचे दर्शाई हुई तालिकाएं स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप–स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति को दर्शाती हैं। यह जानकारियां अध्ययन क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों तथा रोगियों के सर्वे से सामने आई हैं।

जिला अस्पतालों की स्थिति:

जैसा कि पहले बताया गया है कि इस अध्ययन के अंतर्गत प्रत्येक जिले से एक जिला अस्पताल लेते हुए चार जिला अस्पतालों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण किये गए चार जिला अस्पतालों में से दो (50 प्रतिशत) अस्पतालों में आँखों का डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं, दो अस्पतालों में कार्यात्मक सी.टी स्कैनर नहीं हैं, तीन अस्पतालों में एंडोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा दो अस्पतालों में साफ़ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं देखने को मिली।

चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल के मानव संसाधन पर एक नज़र:

मानव संसाधन की जानकारी सिर्फ चित्तोड़गढ़ के जिला अस्पताल से ही मिल पाई। बाकि जिलों से इस स्तर की जानकारी नहीं जुटाई जा सकी। नीचे दी हुई तालिका चित्तोड़गढ़ के जिला अस्पताल में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी देती है।

तालिका 3: चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल में मानव संसाधन (सितंबर, 2015 तक)

पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
वरिष्ठ विशेषज्ञ	10	2	8
कनिष्ठ विशेषज्ञ	22	16	6
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	2	1	1
चिकित्साधिकारी	35	15	20
नर्स द्वितीय श्रेणी	77	48	29
फार्मासिस्ट	16	4	12
लैब टेक्नीशियन	17	4	13
सूचना सहायक	15	8	7
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (वार्ड बॉय)	18	12	6
स्वीपर	7	3	4
अन्य	73	40	33
कुल पद	292	153	139

स्रोतः कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि जिला अस्पताल में 50 प्रतिशत पद अभी भी रिक्त पड़े हैं और कुल 292 पदों में से सिर्फ 153 पद भरे हुए हैं जो काफी निराशाजनक है। तालिका में दिए गए अन्य पदों में रेडियोग्राफर, वरिष्ट लैब टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, अस्पताल केयर टेकर इत्यादी हैं। अस्पताल में पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ और कनिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, चिकित्सा अधिकारी के 55 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, द्वितीय श्रेणी नर्स के करीब 37 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इसी तरह 75 प्रतिशत पद फार्मासिस्ट के और 76 प्रतिशत पद लैब टेक्नीशियन के रिक्त पड़े हैं। ऊपर दी हुई तालिका स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वीकृत और रिक्त पदों में अंतर की सही दशा को दर्शा रही है। स्वास्थ्य बजट का एक मुख्य हिस्सा स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन में जाता है और रिक्त पदों की संख्या से ये जाहिर है कि वर्तमान बजट आवंटन स्वीकृत पदों के वेतन के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए भी स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी करने की जरुरत है ताकि रिक्त पदों को भरा जा सके।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति:

राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति समझने के लिए चारों जिलों के 8 केन्द्रों का चयन किया गया। इन केन्द्रों का विभिन्न पहलुओं जैसे बजट, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता, विभिन्न संसाधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता इत्यादि का विश्लेषण किया गया। सर्वे से सामने आया कि 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 6 में नसबंदी का ऑपरेशन करने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तथा 3 केन्द्रों में HIV/AIDS के परामर्श की व्यवस्था नहीं है। 7 केन्द्रों में गर्भपात करने के लिए कोई प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, आयुष, एनेस्थेटिस्ट, बच्चों का डॉक्टर एवं यशोदा उपलब्ध नहीं है। मात्र 50 प्रतिशत केन्द्रों में फार्मासिस्ट उपलब्ध है, 7 केन्द्रों में 24 घंटे प्रसव की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण प्रसव के दौरान हानि की आशंका बढ़ जाती है। 5 केन्द्रों में बीमार बच्चों के लिए आपातकालीन सुविधा (SNCU) उपलब्ध नहीं है। 3 केन्द्रों में ECG की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति:

राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति समझने के लिए चारों जिलों के 16 केन्द्रों का चयन किया गया। इन केन्द्रों का विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता, विभिन्न संसाधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता इत्यादि का विश्लेषण किया गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति भी काफ़ी निराशाजनक है। सर्वे से सामने आया कि 16 में से किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी का ऑपरेशन करने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है। करीब 90 प्रतिशत केन्द्रों में जटिल प्रसव का प्रबन्धन एवं RTI/STI जैसे रोगों को ठीक तरह से देखने योग्य कम से कम एक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी भी नहीं है। इसके अलावा 87.5 प्रतिशत केन्द्रों में एलोपैथी, आयुष–चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ विभिन्न संसाधनों एवं उपकरणों की बात करें तो ये पाया गया कि 81.2 प्रतिशत केन्द्रों में नसबंदी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर नहीं है, और 87.5 प्रतिशत केन्द्रों के ऑपरेशन थिएटर में जनरेटर उपलब्ध नहीं है। 16 में से 6 केन्द्रों में ऑक्सीजन सिलिंडर नहीं पाया गया और कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मलेरिया, टीबी एवं एचआईवी टेस्ट की सुविधा नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य केन्द्रों की दयनीय दशा को दर्शाती है।

उप–स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति:

राज्य में उप–स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति समझने के लिए चारों जिलों के 32 केन्द्रों का चयन किया गया। इन केन्द्रों के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता, विभिन्न संसाधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता इत्यादि के बारे में जानकारी ली गयी।

करीब 96.9 प्रतिशत केन्द्रों में पुरुष स्वास्थ्य कर्मी और 81.3 प्रतिशत केन्द्रों में सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। एक उप–स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम तथा तीन उप–स्वास्थ्य केंद्र में आशा नहीं है। काफी केंद्रों में कचरापेटी, बिजली, कार्यात्मक शोचालय एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली। करीब 41 प्रतिशत केन्द्रों में खिड़की व दरवाज़ों पर परदे नहीं मिले तथा काफी स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहाँ जे.एस. वाई. से सम्बंधित जानकारी, आई.यू.ड़ी लगाने व निकालने की मार्गदर्शिका नहीं है। उपकरणों की बात करें तो काफी केन्द्रों में बच्चों के वज़न नापने की सुविधा, अम्बु बैग, प्रसव किट, दुबारा काम न आने वाला इंजेक्शन, साबुन, दस्ताने, स्टोव इत्यादि या तो उपलब्ध नहीं है या इनकी पर्याप्त मात्रा नहीं है। हैरान करने वाली बात ये है कि लगभग 66 प्रतिशत उप–स्वास्थ्य केन्द्रों में निमोनिया के उपचार की व्यवस्था तथा 22 प्रतिशत उप–स्वास्थ्य केन्द्रों में डीओटी की व्यवस्था नहीं है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता, विभिन्न संसाधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता की बहुत दयनीय स्थिति है। अतः सरकार को अपना स्वास्थ्य बजट बढाने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके।

रोगियों के सर्वे के मुख्य बिंदु:

इस अध्ययन में हमने चारों जिलों में लगभग 487 रोगियों का सर्वे किया जिनमें से 55 प्रतिशत पुरुष तथा 45 प्रतिशत महिलाएं शामिल है। जो लोग सर्वे में शामिल हुए वे अलग–अलग धर्मों, जाति और शिक्षा से सम्बन्ध रखते हैं। सर्वे में शामिल 70 प्रतिशत लोगों की मासिक पारिवारिक आय 10 हज़ार से कम है। सर्वे से ये सामने आया की लगभग 6.5 प्रतिशत लोगों ने अपने स्वास्थ्य सम्बंधित उपचार के लिए किसी न किसी से उधार लिया जिसमें से 14 लोगों ने 2000 रूपये तक का, 10 लोगों ने 2000 से 5000 तक का, तीन लोगों ने 5000 से 8000 तक का, दो लोगो ने 12000 से 15000 तक का तथा एक ने 15000 से 20000 तक का उधार लिया। इलाज के लिए लगभग 2.5 प्रतिशत लोगों ने अपनी सम्पत्ति गिरवी रखी और 3.3 प्रतिशत लोगों ने अपनी कोई सम्पत्ति बेच कर अपने इलाज का खर्च वहन किया। दवाइयों की बात की जाये तो लगभग 16 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उनको इलाज के दौरान किसी डॉक्टर से कोई परामर्श नहीं मिला जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। करीब 99 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उनको मुफ्त दवाई उपलब्ध कराई गयी। 26 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उनको सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों से ली गयी दवाइयों और बाहर से ली गयी दवाइयों की गुणवत्ता में अंतर लगता है, जिनमें से लगभग दो प्रतिशत लोगों का ये मानना है कि बाहर की दवाइयों की गुणवत्ता कम है।

शेष पृष्ठ 4 पर...

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना

भारत में आदिवासियों एवं दलितों के समग्र विकास तथा इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़कर अन्य वर्गों एवं क्षेत्रों के समकक्ष लाने हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1974–75 में जनजाति उपयोजना एवं वर्ष 1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना (जिसको 2007 से पहले विशेष संघटक योजना के नाम से जाना जाता था) की रणनीति अपनाई गई। जिसके अनुसार केन्द्र सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में क्रमशः जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित कर इन वर्गों के विकास हेतु व्यय करना चाहिये। चुंकि राज्य की कुल आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत, 2001 जनगणना के अनुसार क्रमशः 17.1 एवं 12.5 प्रतिशत है। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत बढकर क्रमशः 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत हो गया है। अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम इनकी आबादी के अनुपात आवंटित करना चाहिये।

उपयोजनाओं के लागू होने के 30 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी दोनों उपयोजनाओं में मानदंड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की जा रही है तथा यह स्थिति केन्द्र एवं देश के करीब सभी राज्यों में देखी जा सकती है। अतः देश में विगत 2–3 वर्षों से इन उपयोजनाओं के लिये कानून बनाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में गत वर्ष आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये कानून बनाया है। इसी प्रकार राज्य की पूर्व सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 का मसौदा तैयार किया गया। लेकिन राज्य की नयी सरकार इस मसौदे को कानून रुप देने हेतु अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही है।

अगले वित्तीय वर्ष से बजट में आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण की समाप्ति की घोषणाः उपयोजनाओं का भविष्य अधर में!

इस वर्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में अगले वित्तीय वर्ष (2017–18) से बजट के आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण को समाप्त करने की घोषणा की है। परंतु उन्होंने अपने बजट भाषण में यह नहीं बताया कि इस वर्गीकरण की समाप्ति से दलितों एवं आदिवासियों हेतु संचालित उपयोजनाओं का क्या होगा। गौरतलब है कि इन उपयोजनाओं का आधार आयोजना बजट है एवं सरकारों को अपने आयोजना बजट की आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में इन उपयोजनाओं के तहत राशि आवंटित करना होता है। ऐसे में जब अगले वित्तीय वर्ष से बजट में आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण ही समाप्त हो जायेगा तो उपयोजनाओं का भविष्य क्या होगा। अतः सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगले वर्ष से उपयोजनाओं के क्रियांवयन हेतु बजट आवंटन एवं खर्च कैसे एवं किस आधार पर होगा। ऐसे में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को बड़े स्तर पर विमर्श तथा चर्चा के आधार पर दलित तथा आदिवासी समुदायों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिये रणनीति तैयार करनी चाहिये।

उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन की स्थितिः

प्रस्तुत नोट में राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के अंतर्गत गत 4–5 वर्षों में हुए आवंटन एवं व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं की स्थिति

(राशि करोड़ रु. में)

वित्तिय वर्ष	राज्य का कुल आयोजना व्यय	अनुसूचित जाति उपयोजना बजट	जनजाति उपयोजना बजट
2012–13 वास्तविक	27159.27	2232.49 (8.22)	1826.59 (6.73)
2013–14 बजट अनुमान	31516.27	3091.27 (9.8)	2770.39 (8.8)
2013–14 संशोधित	35068.00	3431.61 (9.8)	2959.52 (8.44)
2013–14 वास्तविक	29109.65	2887.92 (9.92)	2650.45 (9.11)
2014–15 बजट अनुमान	57115.26	4814.65 (8.43)	4150.45 (7.27)
2014–15 संशोधित	51511.92	4860.17 (9.44)	4420.92 (8.58)
2014–15 वास्तविक	44176.87	3887.15 (8.8)	3302.64 (7.48)
2015–16 बजट अनुमान	57322.77	5545.78 (9.67)	4626.75 (8.07)
2015–16 संशोधित	56288.89	5884.94 (10.45)	5434.18 (9.65)
2016–17 बजट अनुमान	67339.97	6476.60 (9.62)	7314.94 (10.86)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर

नोट : ( ) कोष्टक में राज्य के कुल योजनागत बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बजट का प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष 2016–17 के अनुमानित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 6476.6 करोड़ रु. आवंटित किये हैं, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 9.62 प्रतिशत है। इसी प्रकार जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल लगभग 7314.94 करोड़ रु. प्रस्तावित किये हैं, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 10.8 प्रतिशत है। गत वर्ष (2015–16) के संशोधित बजट में भी अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल बजट करीब 5884.94 करोड़ रु. हैं, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 10.45 प्रतिशत है। इसी प्रकार जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल बजट लगभग 5434.18 करोड़ रु. हैं, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 9.65 प्रतिशत है।

विगत 7–8 वर्षों के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाये तो वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक दोनों उपयोजनाओं के आवंटन में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन 2014–15 के लिये पेश किये गये बजट अनुमान में दोनों उपयोजनाओं में आवंटित बजट के अनुपात में बहुत कमी की गयी थी एवं वास्तविक व्यय में भी कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई। इस वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान एवं 2015–16 के संशोधित अनुमान में राज्य के योजनागत बजट (उदय के अलावा) की तुलना में दोनों उपयोजनाओं के अनुपात में विगत वर्षों की तुलना में बढोतरी हुयी है। फिर भी राज्य में उपयोजनाओं का आवंटन अभी भी मानदंड की तुलना में काफी कम है। फलतः राज्य के दलित एवं आदिवासी करोड़ों रु. की विकास योजनाओं से वंचित होंगें।

राज्य में उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन हेतु राज्य की पूर्व सरकार ने इनको कानूनी रुप देने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 का मसौदा तैयार किया था। लेकिन अभी तक राज्य में उपयोजनाओं को कानूनी रुप देने हेतु तैयार किये गये मसौदे पर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अतः सरकार को राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बेहतर क्रियांवयन तथा बजट आवंटन एवं व्यय को इनकी आबादी के अनुपात में सुनिश्चित करने हेतु इन उपयोजनाओं के संबंध में निर्मित मसौदा विधेयक को उपयुक्त सुधारों के साथ शिघ्र ही कानूनी रुप देने हेतु कदम उठाने चाहिये। साथ ही सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि जब अगले वर्ष से बजट का आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण ही समाप्त हो जायेगा तो इनके क्रियांवयन हेतु बजट आवंटन एवं खर्च का आधार क्या होगा। ऐसे में केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ आमजन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिये।

पृष्ठ 1 का शेष, राजस्थान में अकाल एवं सुखे की स्थिति पर सर्वे

में भी राज्य में सुखा हेतु करीब 859.2 करोड रु का बजट रखा गया है। हालांकि यह बजट गत वर्ष के संशोधित बजट से अधिक है लेकिन वर्ष 2014–15 के वास्तविक व्यय एवं 2015–16 के बजट अनुमान से काफी कम है। अतः राज्य में अकाल एवं सुखे की गंभीरता को देखते हुये समुचित बजट आवंटन एवं उपयोग को सुनिश्चित करते हुये पेयजल एवं चारे की समुचित व्यवस्था करने के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका के बेहतर प्रबंध किये जायें। इसके अलावा अकाल के समय में आदिवासी, दलित, कालबेलिया व गरीब तथा कमजोर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ इनकी आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाये। हालांकि गत दिनों में राज्य के कुछ जिलों/हिस्सों में वर्षा जरूर हुई है लेकिन फिर भी राज्य में पिछले वर्षों की स्थितियों को देखते हुये यह काफी महत्त्वपूर्ण है कि सरकार इसके लिए सचेत रहे।

पृष्ठ 2 का शेष, राजस्थान में शिक्षा एवं बजट

विद्यालयों को मिलने वाला अनुदानः राज्य में विद्यालयों को निम्न प्रकार के वार्षिक अनुदान मिलते हैं जिस पर विद्यालय प्रबंध समिती (SMC) का नियंत्रण रहता है :

- विद्यालय सुविधा अनुदान (SFG) : विद्यालय सुविधा अनुदान (School Facilities Grant) के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 5000 रु जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7000 रु मिलते हैं।
- विद्यालय मरम्मत एवं नवीनीकरण अनुदान (SMRG) : विद्यालय मरम्मत एवं नवीनीकरण अनुदान (School Maintenance Renovation Grant) के अंतर्गत यदि विद्यालय में 3 या इससे कम कमरे हैं तो 5000 रु और यदि 3 कमरों से अधिक है तो 10000 रु मिलते हैं।
- टीएलएम अनुदान (Teaching Learning Material Grant) : टीएलएम अनुदान 2 वर्ष से बंद है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राज्य के विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कमी है अतः सरकार को विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं एवं संसाधनों का विकास करना चाहिये। इसके साथ ही शिक्षकों के रिक्त पदों को शिघ्र भरना चाहिये। इस हेतु राज्य में शिक्षा पर बजट खर्च को बढ़ाना चाहिये, क्योंकि वर्तमान में सरकार राज्य में सकल घरेलू राज्य उत्पाद का मात्र 3 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च कर रही है। जबकि कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिये। इसके अलावा विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, बजट खर्च एवं इनको मिलने वाले विभिन्न अनुदानों की निगरानी एवं इनके उपयोग में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिये।

पृष्ठ 3 का शेष, राजस्थान के चार जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं .....

इस अध्ययन से यह स्पट होता है कि राजस्थान में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत दयनीय बनी हुई है जिसके कई कारण हैं जिनमें स्वास्थ्य बजट का कम होना, नए स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण में पूंजीगत व्यय की कमी, सरकारी योजनाओं के बजट में कटौती, आवंटित बजट का पूरा उपयोग न होना, स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव संसाधन एवं उपकरणों की कमी प्रमुख है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार के लिए जरुरी है कि इन सब कारणों पर सरकार का ध्यान आकर्षित हो और सरकार इन कमियों को दूर करने की ओर गुणवत्तापूर्ण कदम उठाये। हालांकि इस अध्ययन में अच्छी बात यह उभर के आई कि राज्य में मुफ्त दवा योजना का बड़ी संख्या में लोग लाभ रहे हैं अतः इस योजना के कारण सरकारी अस्पतालों में ईलाज लेने वाले लाभार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुये मुफ्त दवा एवं जांच योजना के व्यवस्थित क्रियांवयन हेतु बजट बढाने के अलावा अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों को भरने के साथ ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाये।

संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – महेन्द्र सिंह राव
– बरखा माथुर
– विवेक मिश्रा
सहयोग – अंकुश वर्मा
– भीमसिंह मीणा
सलाहकार – डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, प्रथम तल, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड.....